संख्या:127/2026/757/35-4002(003)/52/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फिरोजाबाद।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 24 अप्रैल,2026

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत हुए कार्यों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में शासनादेश संख्या: 63/2026/537/35-4-2026/35-4002(003)/29/2026 दिनांक 30.03.2026 द्वारा 56 कार्यों की रू. 2534.30 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 1219.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। उपर्युक्त शासनादेश के क्रमांक- 3 से 10 पर इंगित कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति को एतदद्वारा निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 30.03.2026 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। निरस्त कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि राजकोष के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कराते हुए इसकी सूचना ट्रेजरी चालान की प्रति सहित नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:127/2026/35-4002(003)/52/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (री) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सा सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०।
6- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, आगरा मंडल ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद ।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, फिरोजाबाद ।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, फिरोजाबाद ।
15- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1.यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2.इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।